

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३९] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी २१, १९७२/माघ १, १८९३

No. 39] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/MAGHA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Conditions of Service of the Union territory of Mizoram Employees Rules, 1972.

(2) They shall come into force at once.

2. **Extent of application.**—These rules shall apply to all persons appointed to the Central Civil Services and posts (Class I, Class II, Class III and Class IV) under the administrative control of the Administrator of the Union territory of Mizoram.

3. **Conditions of service of persons appointed to the Central Civil Services and posts under the administrative control of the Administrator of the Union territory of Mizoram.**—The conditions of service of persons appointed to the services and posts referred to in rule 2 shall, subject to any other provision made by the President, be the same as the conditions of service of persons appointed to other corresponding Central Civil Services and posts and be governed by the same rules and orders as are for the time being applicable to the latter category of persons:

Provided that the scales of pay and dearness allowance and other allowances granted to such employees, shall, until any other provision is made in this behalf, continue to be governed by orders in force immediately before the commencement of these rules:

Provided further that in the case of persons appointed to the Services and posts referred to in rule 2 if they are drawing pay and the dearness allowance at the rates admissible to corresponding categories of employees of the Government of Assam, it shall be competent for the Administrator of the Union territory of Mizoram to revise their scales of pay and rates of dearness allowance from time to time so as to bring them on par with the scales of pay and dearness allowance which may be sanctioned by the Government of Assam from time to time for the corresponding categories of employees.

4. Rules not to apply to matters relating to probation, confirmation, seniority and promotion.—Nothing contained in these rules shall apply to probation, confirmation, seniority and promotion in respect of persons in relation to whom the Administrator of the said Union territory has been authorised under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 14/21/71-HMT(I) dated the 21st January, 1972 to make rules under the proviso to article 309 of the Constitution.

5. Repeal.—All rules and orders relating to matters for which provision is made in rule 3 in so far as they are applicable to persons referred to therein and are inconsistent with the provisions of these rules are hereby repealed.

Provided that—

- (a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules, or orders or anything done or any action taken thereunder;
- (b) any proceeding under the said rules or orders pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far as may be in accordance with the provisions of the rules and orders made applicable under rule 3.

[No. 14/21/71-HMT-(I).]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

सां० प्र० 50 (प्र०).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) ये नियम मिजोरम संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम 1972 कहलाये जा सकेंगे।

(2) ये नियम तत्काल प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होने की सीमा :—ये नियम मिजोरम संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों (श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV) में नियुक्त सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

3. मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें :—नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा किये गये किसी अन्य उपबन्ध के अनुसार वही होंगी जो कि अन्तःसमवर्ती केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में नियुक्त किये व्यक्तियों पर लागू होती हैं और उनके संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों और आदेशों भी (नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों में नियुक्त व्यक्तियों पर) लागू होंगे।

यह व्यवस्था की जाती है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान, मं गार्ड भत्ता और अन्य भत्तों पर, जब तक कि मं गंध में कोई अन्य व्यवस्था न की जाय, इन नियमों के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व लागू आदेश लागू होंगे :—

यह भी व्यवस्था की जाती है कि नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के मामले में, यदि वे असम राज्य के समवर्ती श्रेणियों के कर्मचारियों को देय दरों पर वेतन और मंहगार्ड भत्ता दे रहे हैं, मिजोरम के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक को समय समय पर उनके वेतनमान और मंहगार्ड भत्ते में संशोधन करने का अधिकार होगा, जिससे कि वे कर्मचारियों की समवर्ती श्रेणियों के लिए समय समय पर असम की सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान और मंहगार्ड भत्ते के समान बनाये जा सकें ।

4. परिवीक्षा, स्थायीकरण, बरिष्ठता और पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों में लागू न होने वाले नियम.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियम बनाने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय की तारीख 21 जनवरी, 1972 की अधिसूचना सं० 14/21/71-एच० एम० टी० (ii) के अधीन उक्त संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को जिन व्यक्तियों की परिवीक्षा, स्थायीकरण, बरिष्ठता और पदोन्नति के सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया है, उन पर उक्त नियमों की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

5. निरसन—जिन मामलों के संबंध में नियम 3 में व्यवस्था की गई है और वे जहां तक उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होते, और जो इन नियमों की व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं ऐसे सभी नियम और आदेश एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:—

यह व्यवस्था की जाती है कि (क) ऐसे निरसन से उक्त नियमों या आदेशों के पूर्वर्ती प्रभाव उनके अधीन की गई किसी कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय उक्त नियमों और आदेशों के अधीन लम्बित कोई कार्य-वाही जारी रखी जायेगी और नियम 3 के अधीन लागू किये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उनका निपटान किया जायगा ।

[संख्या 14/21/71-एच० एम० टी० (i)]

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Mizoram shall exercise the power to make rules in regard to the following matters, namely:—

- (i) the method of recruitment to the Central Civil Services and posts (Class I, Class II, Class III and Class IV) under his administrative control in connection with the affairs of the Union territory of Mizoram;
- (ii) the qualifications necessary for appointment to such services and posts; and
- (iii) the conditions of service of persons appointed to such services and posts for the purposes of probation, confirmation, seniority and promotion:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to the recruitment rules already in force until the same are revised or superseded by the said Administrator under the powers conferred on him by this notification and that the powers of the Governor of Assam or of the Government of Assam under any such rules shall be exercised by the Administrator of the Union territory of Mizoram and any reference to the Assam Public Service Commission in such rules shall be construed as reference to the Union Public Service Commission.

2. Any recruitment rules, including any rule relating to probation, confirmation seniority and promotion, made in pursuance of this direction shall be subject to previous consultation with the Union Public Service Commission.

3. Nothing contained in this notification shall apply to services and posts borne on a cadre common to two or more Union territories

[No. 14/21/71-HMT (ii).]

सा० प्रा० 51(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परमूक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम के प्रशासक निम्नलिखित मामलों में नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अर्थात् —

- (1) संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम से सम्बन्धित मामलों के बारे में अपने प्रामाणिक नियन्त्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों (श्रेणी I श्रेणी II श्रेणी III और श्रेणी IV) में भर्ती के तरीके;
- (2) ऐसी सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिये आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं;
- (3) परीक्षा, स्थायीकरण, बरिष्ठता तथा पदोन्नति के बारे में ऐसी सेवाओं और पदों में निरुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें।

यह व्यवस्था की जाती है कि इस अधिसूचना में दी गई कोई बात पहले से प्रचलित भर्ती नियमों पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उक्त प्रशासक इस अधिसूचना द्वारा उसको दत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उनमें संशोधन या अधिक्रमण न कर दे और ऐसे किसी नियम के अधीन असम के राज्यपाल की या असम सरकार की शक्तियों का प्रयोग संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम के प्रशासक द्वारा किया जायेगा और ऐसे नियमों में जहाँ कहीं भी असम लोक सेवा आयोग का उल्लेख होगा वहाँ उसका अर्थ संघ लोक सेवा आयोग लगाया जायेगा।

2. संविधान के अनुमरण में बनाये जाने वाले किसी भी नियम, जिसमें परीक्षा, स्थायीकरण बरिष्ठता और पदोन्नति सम्बन्धी नियम शामिल हैं, के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श की शर्त होगी।

3. इस अधिसूचना में दी गई कोई बात दो या दो से अधिक संघ राज्य क्षेत्र के सामान्य संबंध से सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगी।

[सं० 14/21/71-एच० एम० टी० (ii)]

ORDER

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby directs that every person who immediately before the appointed day was serving, in connection with the affairs of the Union under the administrative control of the Administrator of the Union territory of Manipur or the Union territory of Tripura, on deputation basis shall, on and from that day, be deemed to be on deputation to the Government of the State of Manipur or the Government of the State of Tripura, as the case may be, on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before the appointed day.

[No. F. 4/25/71-HMT.]

G. K. BHANOT, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

सां. भा. 52(अ).—उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 62 द्वारा दत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ज. कि निर्धारित दिन से तत्काल पूर्व मंष के कार्य के सम्बन्ध में मणिपुर अथवा त्रिपुरामंष शासित क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रति नियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहा था, उस दिन से यथा स्थिति उन्हीं शर्तों पर जो कि उस पर निर्धारित दिन से तत्काल पूर्व लागू होती थी, मणिपुर राज्य सरकार अथवा त्रिपुरा राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा।

[सं. एफ०/4/25/71—एच० एम० टी०]

जी० के० भमोन, मयुक्त सचिव।

